अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य
Aims of Education According to Ambedkar

अम्बेडकर शिक्षा के विविध प्रकार के स्वरूप को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि शिक्षण का औपचारिक स्वरूप व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्वरूप दोनों से ही होता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जन जागृति है जो कि शिक्षा के सिद्धान्तों के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान से होती है। अम्बेडकर द्वारा शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में संयुक्त प्रयासों को ही सर्वोत्तम माना गया है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है—

1. जागृति या चेतना का विकास (Development of conciousness)—अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जनसामान्य में जागृति का विकास करना है जिससे व्यक्ति अपने आन्तरिक एवं बाह्य स्वरूप को पहचान सकें। विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ही इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि बालक अपने अन्तर्गत समाहित क्षमताओं को पहचान सकें तथा उनके अनुरूप स्वतन्त्रता से कार्य कर सकें। शिक्षक को बालक की जागृति के विकास में योगदान देकर अपना दायित्व निर्वहन करना चाहिये।

2. समानता के दृष्टिकोण का विकास (Development of view of equality)—शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य समाज में समानता की भावना का विकास करना है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित होकर भी समाज में भेदभाव फैलाता है तथा विघटन उत्पन्न करता है तो वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं है। वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर से ही विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के साथ सभी बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे किसी भी बालक के मन में जातिगत एवं धर्मगत भेदभाव उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा समानता स्थापित की जाती है।

3. स्वतन्त्रता की भावना का विकास (Development of spiriti of liberty)—अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्वतन्त्रता की भावना का विकास करना है। वर्तमान समय में विद्यालयों में छात्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। आज के समय में बालकों के विचारों एवं रुचिपूर्ण गतिविधियों का शिक्षकों द्वारा सम्मान किया जाता है। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली पूर्णत: बालकेन्द्रित शिक्षा प्रणाली है। अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षित व्यक्ति सार्थक एवं उपयोगी विचारों को स्वतन्त्र रूप से प्रस्तुत करता है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को स्वतन्त्रता की भावना से सम्पन्न करती है।

4. विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास (Development of spirit of fraternity)—अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा द्वारा विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास किया जाता है तथा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी यही है। शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका व्यवहार समाजोपयोगी एवं मर्यादित होगा। सामान्य रूप से शिक्षा के माध्यम से ही आज विभिन्न देशों के नागरिक एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं तथा एक-दूसरे के हित के लिये कार्य करते हैं। इसलिये प्राथमिक स्तर से ही बालकों को भाई-चारे की भावना विद्यालयों में ही सिखायी जानी चाहिये जिससे बालक बड़ा होकर विश्व बन्धुत्व की भावना को समझ सके।

5. सामाजिक न्याय की भावना का विकास (Development of spirit of social justice)—अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में सामाजिक न्याय की भावना का विकास होता है। शिक्षा एक ओर छात्रों को सामाजिक न्याय करने सम्बन्धी गतिविधियों को सिखाती है जिससे उनका प्रत्येक कार्य सामाजिक न्यायसंगत हो दूसरी ओर वह छात्रों को सामाजिक अन्याय के विरोध में स्वर उठाना सिखाती है। आज के विद्यालयों में छात्रों को यह बताया जाता है कि न तो किसी के साथ अन्याय करना चाहिये और न ही अन्यायपूर्ण कार्यों में सहयोग करना चाहिये। इस प्रकार समाज में सामाजिक न्याय स्थापित होता है।

6. आन्दोलन शक्ति का विकास (Development of agitation power)—शिक्षा के माध्यम से छात्रों में आन्दोलन शक्ति का विकास होना चाहिये क्योंकि यदि छात्रों में अन्याय के विरुद्ध या किसी गलत परम्परा का विरोध करने की शक्ति नहीं होगी तो समाज में रूढ़िवादी परम्पराओं की अधिकता हो जायेगी। रूढ़िवादी परम्पराओं को समाप्त करने के लिये तथा सामाजिक अन्याय को रोकने के लिये छात्रों में संघर्ष शक्ति, आन्दोलन शक्ति एवं उत्तेजना का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव होता है। वर्तमान समय में छात्रों को सही एवं गलत का निर्णय करने की योग्यता प्रदान करने का दायित्व भी शिक्षक एवं शिक्षालयों द्वारा निर्वहन किया जा रहा है।

7. संगठन शक्ति का विकास (Development of organisation power)—अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा के द्वारा बालकों में संगठन शक्ति का विकास भी अनिवार्य रूप से होना चाहिये क्योंकि संगठन के अभाव में समाज से त्रुटिपूर्ण परम्पराओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है और न ही विवेकपूर्ण परम्पराओं की स्थापना की जा सकती है। इसलिये आज की शिक्षा व्यवस्था में बालकों को अनेक प्रकार के सहकारी संगठन बनाने का कार्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से दिया जाता है। उच्च स्तर पर छात्र संघ के चुनाव कराये जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर भी छात्रों को समूह में कार्य दिये जाते हैं। इस प्रकार संगठन शक्ति विकसित की जाती है।

8. मानवता का विकास (Development of humanity)—अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानवता का विकास करना है। उनका मानना था कि छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही मानवाधिकार एवं मानवीय गुणों का विकास करना चाहिये। इसके लिये वर्तमान समय में शिक्षा के अधिकार एवं बाल अधिकार की व्यवस्था की जाती है जिससे छात्र अधिकारों का अर्थ प्राथमिक स्तर से ही समझते हैं। छात्रों को समूह में अनेक प्रकार की क्रियाएँ प्रदान की जाती हैं जिससे छात्रों में प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास सम्भव होता है।

9. व्यापक दृष्टिकोण की भावना का विकास (Development of spirit of broad view)—अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना है। संकीर्णतावादी दृष्टिकोण के कारण ही समाज में अनेक प्रकार की धार्मिक एवं

जातीय विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिये समाज में द्वेष एवं बदले की भावना का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा प्राथमिक स्तर से ही छात्रों में व्यापक सोच विकसित की जाती है जिससे छात्र आपस में समानता का भाव रखते हुए प्रेमपूर्वक रहते हैं।

10. भेदभाव का समापन (Abolition of discrimination) — अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना है क्योंकि शिक्षा द्वारा जातिवाद, धार्मिक कट्टरता एवं साम्प्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसका प्रभाव देखा जाता है। शिक्षित समाज में जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता के स्थान पर सर्वधर्म समभाव एवं मानवता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिये अम्बेडकर सभी को शिक्षित करने पर बल देते थे। उनके अनुसार स्त्री एवं पुरुष सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिये जिससे किसी भी स्तर पर भेदभाव न हो सके।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अम्बेडकर शिक्षा के द्वारा मानव में समग्र विकास रखना चाहते थे। इसलिये वह शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे। शिक्षा के ाथ-साथ वह चरित्र को भी महत्त्वपूर्ण प्रदान करते थे। उनका मानना था कि समाज को चरित्रवान वं शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है।